छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा   नवम् सत्र   अंक-14

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012

(चैत्र-7, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 20 मार्च, 2012 के स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र-785) तथा 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 एवं 08 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री हृदयराम राठिया अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 14 तारांकित एवं 32 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. व्यवस्था

प्रश्नकाल समाप्त होते ही श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पर विस्तार से चर्चा प्रारंभ करने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

शून्यकाल में माननीय सदस्यों के द्वारा किसी भी विषय में सूचना दिये जाने पर ध्यानाकर्षित किए जाने के लिए विषय उठाते हैं, उस पर विस्तार से भाषण नहीं होता है। उसे ग्राह्य किया जाना या अग्राह्य किया जाना, वह बाद की बात है। लेकिन आसंदी के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए बाकी जो बातें आयीं हैं उन सबको विलोपित किया जाता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2007-2008, **पटल पर रखा।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड में दूषित पेयजल के सेवन से अनेक लोगों को बीमारी होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मालीडीह में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार श्री रामदेव राम, सदस्य की नियम 267-क की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में पंचम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने जिला बालोद अंतर्गत -

(i) ग्राम राघोनवागांव में पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) तांदुला जल संसाधन विभाग के सिकोसा शाखा नहर के लाईनिंग कार्य की स्वीकृति करने,

(iii) तांदुला जल संसाधन विभाग के सलौनी माईनर के लाईनिंग कार्य की स्वीकृति करने,

(iv) ग्राम खर्रा में तांदुला नदी पर एनीकट निर्माण करने,

(2) श्री जगेश्वर राम भगत, सदस्य ने जिला जशपुर अंतर्गत -

(i) ग्राम पण्डरीपानी से तंबाकछार तक मार्ग एवं पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम सरबकोम्बो (अम्बाटोली) में विद्युतीकरण करने, एवं

(3) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने विकासखंड जगदलपुर अंतर्गत ग्राम बिलोरी में करकापाल से भाटीगुड़ा तक सड़क निर्माण करने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

8. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) महिला एवं बाल विकास मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों की पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती अंबिका मरकाम,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री ताम्रध्वज साहू) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी, (श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर-अनुपस्थित), श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, (श्री अग्नि चंद्राकर-अनुपस्थित), श्री भजन सिंह निरंकारी, श्रीमती कुमारी मदन साहू, सर्वश्री दूजराम बौद्ध, खेदूराम साहू।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेंडी, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित मांग संख्या 19, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 79, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 7, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या 22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या 69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 81 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-19 पर सर्वश्री मोहम्मद अकबर, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, (डॉ.) शक्राजीत नायक, भजन सिंह निरंकारी, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-79 पर** डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम **मांग संख्या-7 पर** सर्वश्री मोहम्मद अकबर, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भजन सिंह निरंकारी **मांग संख्या-22 पर** श्री मोहम्मद अकबर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दीपक कुमार पटेल,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी पटेल, शिवराज सिंह उसारे,

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय वृद्धि किये जाने की घोषणा की)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, धर्मजीत सिंह, (श्री संतोष बाफना-अनुपस्थित), भीमा मंडावी, भजन सिंह निरंकारी, दूजराम बौद्ध, बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स, कुलदीप सिंह जुनेजा, सेवकराम नेताम, लखमा कवासी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री नंदकुमार साहू।

9. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधानसभा द्वारा प्रतिवर्ष माननीय सदस्यों, पत्रकार एवं मीडिया के प्रतिनिधि को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नानुसार पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है :-

उत्कृष्ट विधायक :

1. सत्ता पक्ष से	श्री विरेन्द्र कुमार साहू
2. प्रतिपक्ष से	श्री परेश बागबाहरा

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :

1. देशबंधु	श्री ओ.पी.मिश्रा

उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया :

1. जी-24 घंटे छत्तीसगढ़	श्री धनेन्द्र जायसवाल
	श्री सत्येन्द्र सिंह (कैमरामेन)

पुरस्कार वितरण दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को विधानसभा परिसर में सायं 6.30 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय के करकमलों से सम्पन्न होगा।

माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनितों को बधाई दी ।

10. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 30, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या 80, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-30 पर सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अग्नि चंद्राकर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ.शक्राजीत नायक **मांग संख्या-29 पर** डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह (जारी)

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल।

श्री दूजराम बौद्ध,

रात्रि 10.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 28 मार्च, 2012 (चैत्र 8, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा